



दिनांक 20.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को
किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 13.04.2025 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त द्वारा वादिया के अश्लील फोटो खींचकर छेड़छाड़ करना व जान से मारने की धमकी देना व वादिया से रुपये की मांग करने की सूचना के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0157/2025 धारा 74,352,(3)351, (5)308बीएनएस बनाम पंकज बिल्टोरिया पुत्र सुभाष बिल्टोरिया, रायल प्रोपर्टीज, प्रधान पुरम, गोविंदपुरम, गाजियाबाद के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में महिला संबन्धी अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में **दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित अभियुक्त पंकज बिल्टोरिया पुत्र सुभाष बिल्टोरिया, निवासी रॉयल प्रोपर्टीज, प्रधान पुरम, गोविंद पुरम, थाना मसूरी जिला गाजियाबाद हाल पता लक्कड बाजार पुरानी मण्डी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को हकीकत नगर चोक रामलीला मैदान के पास से गिरफ्तार किया गया। विवेचना व पीडिता के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(2)(m) बीएनएस की वृद्धि की गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

पंकज बिल्टोरिया पुत्र सुभाष बिल्टोरिया निवासी रॉयल प्रोपर्टीज प्रधान पुरम, गोविंद पुरम थाना मसूरी जिला गाजियाबाद हाल पता लक्कड बाजार पुरानी मण्डी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री देवी चरण सिंह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 587 प्रदीप मावी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
3. का0 1837 सचिन कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।



दिनांक 20.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध चाकू सहित 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त **नदीम उर्फ जंगू पुत्र वहीद निवासी नियर गैस गोदाम नूरबस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर** को 01 अवैध चाकू सहित अलसी बाग की दिवार के पास गोपाल नगर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0स0 56/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम नदीम उर्फ जंगू उपरोक्त के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त नदीम उर्फ जंगू उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास चाकू रखता हूँ और वक्त जरूरत पर लोगो को डराने, धमकाने व रौब जमाने के लिए चाकू साथ रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नदीम उर्फ जंगू पुत्र वहीद निवासी नियर गैस गोदाम नूरबस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

विवरण बरामदगी -

01 अदद अवैध चाकू बरामद

अभियुक्त नदीम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 413/19 धारा 60 आबकारी अधि0 चालानी थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री रविन्द्र धामा थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर।
2. का0 1342 कपिल कुमार थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर।
3. का0 1354 अभिषेक खोखर थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर।



दिनांक: 20.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से कुल 120 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त मुस्तकीम पुत्र नईम निवासी खानाआलमपुरा थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर को सकला पुरी रोड पर हनुमान चौराहा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 120 ग्राम अवैध चरस बरामद। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 163/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि साहब मैं यह चरस मैं एक महिला से खरीद कर लाया था, जो रसूलपुर में रहती है। नशीले पदार्थ के बारे में पूछने पर बताया कि इसमें से कुछ तो मैं पी लेता हूँ और कुछ घूमफिरकर नशा करने वाले लोगों को उनकी जरूरत के अनुसार थोड़ा-थोड़ा बेच देते हैं और जो मुनाफा होता है, उससे मैं अपना खर्चा चला लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

मुस्तकीम पुत्र नईम निवासी खानाआलमपुरा थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

➤ 120 ग्राम चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री नरेन्द्र सोलंकी थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
2. है0का0 548 रविन्द्र कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
3. है0का0 345 फारुख अली थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
4. का0 2402 हरिओम थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर



दिनांक: 20.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से कुल 115 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त साहिल पुत्र गुलफाम अहमद निवासी पुल खुमरान बाबा सराय थाना कोतवाली नगर सहारनपुर को कच्चा 62 फुटा रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 115 ग्राम अवैध चरस बरामद। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 161/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं नशा करने का आदी हूँ। जो माल मैं बेचने के लिए लाता हूँ। उसमें से कुछ तो मैं पी लेता हूँ और कुछ घूमफिरकर नशा करने वाले लोगों को उनकी जरूरत के अनुसार थोडा-थोडा बेच देता हूँ। इस काम में मुझे अच्छी कमाई हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

साहिल पुत्र गुलफाम अहमद निवासी पुल खुमरान बाबा सराय थाना कोतवाली नगर सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

➤ 115 ग्राम अवैध चरस

गिरफ्तार अभियुक्त साहिल का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 118/25 धारा 118(1), 351(3), 352 बीएनएस थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 189/25 धारा 304(2), 317(2) बीएनएस थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 161/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री ललित तोमर थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
2. हे0का0 02 कमल कौशिक थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 157 संदीप कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. है0का0 2413 जगदीश कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 20.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा अवैध चाकू सहित 01 शातिर जिलाबदर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह थाना कोतवाली मण्डी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 20.04.2025 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा गश्त चैकिंग के दौरान 01 जिलाबदर अपराधी/ शातिर अभियुक्त नावेद पुत्र तहसीन निवासी मोहल्ला झोंटेवाला थाना मण्डी जनपद सहारनपुर को वाल्मीकि मंदिर के किनारे पर पुल कंबोह की तरफ से गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से एक नाजायज चाकू बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 164/2025 धारा 4/25 आयुध अधिनियम व 3/10 गुण्डा एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ - अभियुक्त नावेद उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मैं आपके थाना मण्डी से जिलाबदर अपराधी हूँ,

गिरफ्तार अभियुक्त (जिलाबदर) का नाम व पता -

नावेद पुत्र तहसीन निवासी मोहल्ला झोंटेवाला थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

01 अवैध चाकू

अभियुक्त नावेद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 103/18 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मण्डी सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 253/15 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना मण्डी सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 255/15 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना मण्डी सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 674/19 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना मण्डी सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 681/19 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना मण्डी सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 693/19 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना मण्डी सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 701/19 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना मण्डी सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 244/16 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 473/09 धारा 414 भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 31/08 धारा 401 भा0द0वि0 थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
11. मु0अ0सं0 33/08 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
12. मु0अ0सं0 213/06 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
13. मु0अ0सं0 237/09 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
14. मु0अ0सं0 164/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी –

1. उ०नि० श्री ललित तोमर थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. हे०का० ०२ कमल कौशिक थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है०का० १५७ संदीप कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. है०का० २४१३ जगदीश कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 20.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश **थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा अवैध चाकू सहित 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह थाना कोतवाली मण्डी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 20.04.2025 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा गश्त चैकिंग के दौरान एक शातिर अभियुक्त मनीष पुत्र ओमप्रकाश निवासी चकहेडी जनता रोड पुष्पांजली विहार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर को अंगुरी मस्जिद की तरफ जाने वाली गली से गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से एक नाजायज चाकू बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 162/2025 धारा 4/25 आयुध अधिनियम के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ - अभियुक्त मनीष उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि यह चाकू मैंने एक अंजान व्यक्ति से खरीदा था, जिसका नाम पता नहीं जानता हूँ। मैं शौकिया तौर पर इसे अपने पास रखता हूँ। जिसे लोगो को डराने, धमकाने व रौब जमाने के लिये अपने पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

मनीष पुत्र ओमप्रकाश निवासी चकहेडी जनता रोड पुष्पांजली विहार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

01 अवैध चाकू

अभियुक्त मनीष उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 28/25 धारा 305ए, 317(2) बीएनएस थाना जनकपुरी सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 615/24 धारा 305ए, 317(2) बीएनएस थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 162/25 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना मण्डी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी -

1. उ0नि0 श्री राजकुमार त्यागी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. हे0का0 265 संदीप कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. का0 2223 दुर्गेश कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक 20.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में फरार चल रहे 01 वांछित

अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 06.12.2024 को प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर की सूचना पर चोरी जैसे संगीन अपराध कारित करने वाले अभियुक्तगण 1. रजत पुत्र कुलदीप निवासी ग्राम हैदरपुर थाना तीतरो जनपद सहारनपुर, 2. सहअभियुक्त – रवि उर्फ मोटा पुत्र राज सिंह निवासी ग्राम हैदरपुर थाना तीतरो जनपद सहारनपुर, 3. सहअभियुक्त सूरज उर्फ गुल्लू पुत्र शिवचरण निवासी ग्राम सौराना थाना सरसावा जनपद सहारनपुर, 4. सहअभियुक्त शुभम उर्फ काशी उर्फ सुधीर पुत्र सिताब सिंह निवासी ग्राम हैदरपुर थाना तीतरो जनपद सहारनपुर व 5. सहअभियुक्त प्रवीण पुत्र नरेश कुमार निवासी ग्राम जोहड माजरा थाना इन्द्री जनपद करनाल हरियाणा के विरुद्ध थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 0365/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व गैंगस्टर/लापता हिस्ट्रीशीटर/जिलाबदर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार संघन चैकिंग व गश्त की जा रही है। इसी के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित **अभियुक्त सूरज उर्फ गुल्लू पुत्र शिवचरण निवासी ग्राम सौराना थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को ग्राम सौराना थाना क्षेत्र सरसावा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. सूरज उर्फ गुल्लू पुत्र शिवचरण निवासी ग्राम सौराना थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 365/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट सरसावा सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 110/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 149/23 धारा 414/411 भादवि थाना नकुड जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 109/23 धारा 380/411 भादवि थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार सागर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. हैका0 1006 तरुण त्यागी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. का0 1259 विनीत तोमर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर